


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
(शुद्धि पत्र)

पटना-15, दिनांक : 04 सितम्बर, 2018

संख्या-1/ पी0-1004/2018 -सा0प्र0-11852/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-क0/स्था0-03/2016-471 दिनांक 28.08.2018 द्वारा सोन कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण (स्काडा), पटना को बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी (निरसन) अधिनियम, 2017 के तहत दिनांक 01.09.2018 से समाप्त/बन्द कर दिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11542 दिनांक 28.08.2018 को संशोधित करते हुए श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(बी एच : 85) को उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्काडा, पटना के अतिरिक्त प्रभार के दायित्व से मुक्त किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


4.9.18
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/ पी0-1004/2018 -सा0प्र0- 11852 /पटना-15, दिनांक: 04 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/निदेशक(मुख्य अभियंता), वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं भागलपुर/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल /भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


4.9.18
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।